अनुबंध-क / Annexure-A

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2023

Insurance Regulatory and Development Authority of India
(Remuneration of Non-Executive Directors of Insurers) Guidelines, 2023

1. पृष्ठभूमिः

कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक, बोर्ड के स्वतंत्र कार्यचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बोर्ड द्वारा निर्णयन में वे बाह्य और अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वस्तुनिष्ठ निर्णय को प्रोत्साहित करते हुए वे नेतृत्व और रणनीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे व्यवसाय के संचालन, अभिशासन और बोर्ड कक्ष की सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के संबंध में एक स्वतंत्र दृष्टि उपलब्ध कराते हैं। वे समूह के अभिशासन की प्रणाली तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम वहन-क्षमता के अंदर अपनी कार्यनीति के कार्यान्वयन में प्रबंधन की निगरानी करते हैं और निर्माणात्मक रूप से चुनौती देते हैं।

बोर्ड और समिति की बैठकों में गैर-कार्यकारी निदेशकों की सहभागिता के संबंध में बढ़ी हुई अपेक्षाओँ तथा कारपोरेट अभिशासन में श्रेष्ठता के उच्चतर स्तर के हित में वहन किये जाने के लिए उनसे प्रत्याशित उच्चतर दायित्वों को ध्यान में रखते हुए एवं व्यावसायिक गैर-कार्यकारी निदेशकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाये रखने के लिए बीमा कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे निदेशकों की उपयुक्त रूप में क्षतिपूर्ति की जाए।

2. पारिश्रमिक नीतिः

i. निदेशक बोर्ड को चाहिए कि वह अपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ परामर्श करने के बाद गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए एक व्यापक पारिश्रमिक नीति बनाये और उसका अंगीकरण करे। ऐसी नीति बनाते समय, बोर्ड समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

ii. बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त पारिश्रमिक नीति की संरचना, कार्यान्वयन और समीक्षा करने में निर्णयन प्रक्रिया हितों के संघर्षों की पहचान करे और उनका प्रबंध करे तथा इसे उचित रूप से प्रलेखीकृत किया जाए। बोर्ड के सदस्यों को पारिश्रमिक संबंधी निर्णयों के संबंध में वास्तविक अथवा अनुभूत हितों के संघर्षों की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए।

iii. तथापि, कुल पारिश्रमिक प्रत्येक गैर-कार्यकारी निदेशक के लिए बीस लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। यदि कंपनी का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, तो पारिश्रमिक का निर्णय बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा लिया जाएगा तथा पारिश्रमिक नीति में उसे अदा किये जानेवाले पारिश्रमिक और प्रोत्साहनों का विवरण विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

iv. गैर-कार्यकारी निदेशक किन्हीं ईक्विटी-संबद्ध लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. बैठक शुल्क और व्ययों की प्रतिपूर्तिः

ऊपर पैरा 2(iii) में उल्लिखित निदेशकों के पारिश्रमिक के अतिरिक्त, बीमाकर्ता गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) का भुगतान कर सकता है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुपालन के अधीन, बोर्ड की बैठकों और अन्य बैठकों में सहभागिता के लिए उनके व्ययों की प्रतिपूर्ति कर सकता है।

4. गैर-कार्यकारी निदेशकों की आयु-सीमा और कार्यकालः

i. बोर्ड के अध्यक्ष सहित, गैर-कार्यकारी निदेशकों की अधिकतम आयु-सीमा 75 वर्ष होगी तथा 75 वर्ष की आयु के होने के बाद कोई भी व्यक्ति बीमाकर्ता के बोर्ड में जारी नहीं रहेगा।

ii. बीमाकर्ता के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक का कार्यकाल आठ वर्ष की निरंतर अवधि से अधिक नहीं होगा। बीमाकर्ता के बोर्ड में आठ वर्ष पूरे करने के बाद, व्यक्ति की पुनः नियुक्ति के लिए कम से कम एक वर्ष की विराम अवधि (कूलिंग आफ़ पीरियड) के बाद ही विचार किया जा सकता है। तथापि, यह अपेक्षाएँ पूरी करने के अधीन किसी अन्य बीमाकर्ता के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने से उसे नहीं रोकेगा।

iii. एक स्वतंत्र निदेशक को बीमाकर्ता के बोर्ड में पाँच निरंतर वर्षों तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, तथा बीमाकर्ता द्वारा एक विशेष संकल्प पारित करने पर वह दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा। कोई भी स्वतंत्र निदेशक 10 वर्ष की अवधि के बाद, दो निरंतर अवधियों से अधिक के लिए पद धारित नहीं करेगा। 10 वर्ष पूरे करने के उपरांत ऐसा स्वतंत्र निदेशक कम से कम तीन वर्ष की विराम अवधि (कूलिंग आफ़ पीरियड) के बाद ही पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए, इन दिशानिर्देशों के निर्गम / अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार बीमाकर्ताओं के बोर्डों में सभी गैर-कार्यकारी निदेशकों के कार्यकाल को ध्यान में रखा जाएगा। इन दिशानिर्देशों के निर्गम की तारीख को यदि कोई निदेशक आठ वर्ष / दस वर्ष, जैसी स्थिति हो, की अवधि पूरी कर चुका है, तो ऐसे बीमाकर्ता ऐसे निदेशक(कों) के स्थान पर नये पदधारी(पदधारियों) की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के अंदर करेंगे।

5. **प्रकटीकरणः**

बीमाकर्ता प्रत्येक गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशक को अदा की गई पारिश्रमिक राशि का प्रकटीकरण वार्षिक वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले लेखों की टिप्पणियों में करेंगे। यदि किसी वर्ष के दौरान कोई भी पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया हो, तो यह विशिष्ट रूप से प्रकट किया जाएगा।

1. <u>Background:</u>

Non-executive directors of the company play a crucial role to the independent functioning of the board. They bring in external and wider perspective to the decision-making by the board. They provide leadership and strategic guidance, while maintaining objective judgment. They provide an independent view on the running of the business, governance and boardroom best practices. They oversee and constructively challenge management in its implementation of strategy within the Group's system of governance and the risk appetite set by the Board.

In view of the increased demands on non-executive directors' participation in board and committee meetings and the higher responsibilities they are expected to bear in

the interest of higher level of excellence in corporate governance and in order to enable Insurance companies to attract and retain professional non-executive directors, it is essential that such directors are appropriately compensated.

2. Remuneration Policy:

i. The Board of Directors, in consultation with its Nomination and Remuneration Committee, should formulate and adopt a comprehensive remuneration policy for the Non-Executive Directors. While formulating such policy, the Board shall ensure compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, as amended from time to time.

ii. The Board should ensure that in structuring, implementing and reviewing the remuneration policy, the decision making process identifies and manages conflicts of interests and is properly documented. Members of the Board should not be placed in a position of actual or perceived conflicts of interests in respect of remuneration decisions.

iii. Total remuneration, however, shall not exceed Rupees Twenty lakh per annum for each Non-Executive director. If the Chairperson of the company is a Non-Executive Director, the remuneration may be decided by the Board of Directors of the insurer and, the remuneration policy shall specify the details of the remuneration and incentives to be paid to him/ her.

iv. Non-Executive Directors shall not be eligible for any equity-linked benefits.

3. Sitting fees and reimbursement of expenses:

In addition to the directors' remuneration mentioned in para 2 (iii) above, the Insurer may pay sitting fees to the non-executive directors and reimburse their expenses for participation in the Board and other meetings, subject to compliance with the provisions of the Companies Act, 2013.

4. Age limit and tenure of Non-Executive Directors:

i. The maximum age limit for Non-Executive Directors, including the Chair of the board, shall be 75 years and after attaining the age of 75 years no person shall continue on the Board of an insurer.

ii. The tenure of a Non-Executive Director other than Independent Director, on the board of an insurer, shall not exceed a continuous period of eight years. After completion of eight years on the board of an insurer, the person may be considered for re-appointment only after a cooling-off period of at least one year. This shall, however, not preclude him / her from being appointed as a director on the board of another insurer subject to meeting the requirements.

iii. An Independent Director may be appointed for a term of up to five consecutive years on the Board of an insurer, and shall be eligible for re-appointment for the second term on passing of a special resolution by the insurer. No independent Director shall hold office for more than two consecutive terms, beyond a period of

10 years. After completion of 10 years such independent director shall be eligible for re-appointment only after a cooling-off period of at least three years.

For the purpose of compliance with the above stipulations, the tenure of all the Non-Executive Directors on the boards of insurers as on the date of issue/ notification of these guidelines shall be taken into account. If a director has already completed a period of eight years/ ten years as the case may be, on the date of issue of these guidelines, such insurers shall appoint new incumbent in place of such director(s) within a period of one year.

5. Disclosure:

Insurers shall disclose the amount of remuneration paid to each Non-Executive/ Independent directors, in the Notes to the Accounts forming part of Annual Financial Statements. In case no remuneration is paid during a year, the same shall be specifically disclosed.

-----****----